

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 193/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/20

दायर दिनांक :- 11.08.2023

निर्णय दिनांक :- 22.08.2025

प्रार्थीया
बीजी कंवर पत्नी मदनसिंह
जाति राजपूत निवासी भोजनगर
तहसील बाप जिला फलोदी

बनाम

अप्रार्थीगण

01. राज्य सरकार जरिये
श्रीमान तहसीलदार, बाप
02. कमला पत्नी मोहनराम
03. पुनीदेवी पत्नी भगवानाराम
जाति विश्णोई निवासी सदरी
तहसील लोहावट जिला फलोदी
04. अर्जुनसिंह पुत्र दीपसिंह
05. आसूसिंह पुत्र दीपसिंह
06. उगमसिंह पुत्र दीपसिंह
07. हरिसिंह पुत्र रूपसिंह
08. शोभाकंवर पत्नी गंगासिंह
09. सुमेरसिंह पुत्र नगसिंह
जाति राजपूत निवासी जैमला
तहसील बाप जिला फलोदी
10. निरमा पत्नी महीपाल
जाति विश्णोई निवासी राणेरी
तहसील बाप जिला फलोदी
11. राजादेवी पत्नी उम्मेदराम
जाति राजपूत निवासी मानेवड़ा
तह. घंटियाली जिला फलोदी
12. विमला पत्नी बंशीलाल
13. शारदा पत्नी दिलीप
14. शारदादेवी पत्नी राजूराम
15. समदा पत्नी सलगराम
16. स्वरूपाराम पुत्र रामूराम
17. सहीराम मांजू पुत्र तेजाराम
मांजू जाति विश्णोई
निवासी राणेरी तहसील बाप
जिला फलोदी (राज0)



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1. श्री राजेन्द्रसिंह सौलकी अधिवक्ता प्रार्थीया

2. श्री मोहम्मद रफीक अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 4
ता 6 व 9
3. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधि. अप्रार्थी सं. 2 व 3
4. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण सं. 2 ता 17 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 36/1 रकबा 47.2672 हैक्टेयर तथा अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 36/14 रकबा 12.1406 हैक्टेयर सरहद मौजा भोजनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। प्रार्थीया की खातेदारी की उक्त भूमि की तरमीम बिना किसी विधिक आदेश सेग्रीकेशन योजना के तहत बिना मौका निरीक्षण किये ही व प्रार्थीया को सूचित किये बगैर ही सरासर गलत तरीके से नक्शा ट्रेस में प्रार्थीया के कब्जा काश्त के विपरित करवादी जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार मौके पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि खेत खसरा नम्बर 36/1 रकबा 47.2672 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 36/14 रकबा 12.1406 हैक्टेयर सरहद मौजा भोजनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी भूमि की भू-नक्शा में की गई विधि विरुद्ध तरीके से प्रार्थी के कब्जा व काश्त के विपरित की गई तरमीम को निरस्त करवा कर प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने का अधिकारी है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता मोहम्मद रफीक ने अप्रार्थीगण सं. 4 ता 6 व 9 की ओर से वकालतानामा मय इकबालिया जवाब पेश किया गया, अधिवक्ता ओमप्रकाश गोदारा ने अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 की ओर से वकालतनामा व जवाब पेश किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 7, 8 व 10 ता 17 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि ग्राम भोजनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी खेत खसरा नम्बर 36/1 रकबा 47.2672 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 36/14 रकबा 12.1406 हैक्टेयर भूमि के खातेदारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर वर्तमान तरमीम को दुरुस्त किया जाता है तो कोई उजर एजराज नहीं है।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस पर मनन किया गया। ग्राम भोजनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी खेत खसरा नम्बर 36/1 रकबा 47.2672 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 36/14 रकबा 12.1406 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरुस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित है।

सहायक कलेक्टर
बाप (सिखासर)

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का शेखासर एवं भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम भोजनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी खेत खसरा नम्बर 36/1 रकबा 47.2672 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 36/14 रकबा 12.1406 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का शेखासर एवं भू.अ.निरीक्षक की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक (सुखाराम) पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)